किया गया। शर्त सं0–1 के बारे में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा 98 दुकानों की अनुमति के विपरीत जिन 13 दुकानों को सहायक अभियंता रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिक पाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वह गलत गिनती के कारण हुआ है। शर्त सं0–2 में कहा गया है कि दुकानों का निर्माण प्रस्तुत किये गये नक्शें के अनुसार कराया जायेगा । जॉच में यह पाया गया कि दुकानों का निर्माण मानक के अनुसार नहीं हो रहा है । जॉच का यह निष्कर्ष पूरी तरह से अस्पष्ट एवं मौके के विपरीत है। सरांय/मुसाफिरखाना दुकानों के ऊपर प्रथम तल पर अनुमति के अधीन प्रस्तावित किया गया था। इसे दुकानों का निर्माण समाप्त होने के पश्चात निर्मित कराया जायेगा परन्तु इससे पूर्व ही दुकानों को सील कर दिया गया । शर्त सं0–3 के बारे में प्रार्थनापत्र में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। शर्त सं0–4 के बारे में कहा गया है कि 98 दुकानों की किरायेदारी सर्किल रेट के अनुसार तय की जायेगी । जॉच समिति कुछ पंजीकरण रसीदें आदि दिनांक 27–01–2012 के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि रू0 1,55,000–00 प्रति दुकान की दर से दो दुकानों की पगडी के रूप में और 11 महीने के लिए 400–00रू0 किराया निर्धारित किया गया है जबकि बाजारू दर रू0 2156–00 प्रति माह होता है। यह पंजीकरण रसीदें बिल्डर द्वारा जारी की गई हैं जो प्रार्थी/ मुतवल्ली पर बाध्यकारी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा इस शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। शर्त सं0–5 पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। शर्त सं0–6 के बारे में प्रार्थी द्वारा कहा गया कि वक्फनामा के अनुसार मुसाफिरखाना का निर्माण दुकानों के निर्माण के उपरांत प्रथम तल पर किया जायेगा। जॉच समिति द्वारा मौका मुआयना के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि मुसाफिरखाना के निर्माण का कोई प्राविधान प्रथम तल पर नहीं किया गया है तथा पार्किंग, अग्निशमन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कहा गया कि जॉच समिति द्वारा बोर्ड द्वारा जारी अनुमति का अवलोकन नहीं किया गया जिसमें कहा गया है कि मुसाफिरखाना 98 दुकानों से प्राप्त आय के बाद निर्मित किया जायेगा जिसके निर्माण का प्राक्कलन बोर्ड में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रथम तल पर मुसाफिरखाना निर्माण किये जाने का प्राविधान दुकानों के निर्माण के समय समुचित मजबूती की बुनियाद और पिलर बनाकर किया गया है। यह बिन्दु जॉच कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि भौतिक सत्यापन मौके पर नहीं किया गया। प्रार्थनापत्र में इस बात पर बल देते हुए कि मुसाफिरखाना का निर्माण दुकानों से प्राप्त होने वाली आय से किया जायेगा, कहा गया है कि बिल्डर के साथ हुए करारनामें में इस

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

तथ्य का उल्लेख किया गया है। इसप्रकार शर्त सं0–6 का उल्लंघन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। जॉच समिति ने अपनी आख्या में कहा है कि बोर्ड ने दुकानों एवं मुसाफिरखाना बनाये जाने हेतु प्राइवेट विल्डर की अनुमति नहीं दी है।इस विषय में प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि यह हास्यास्पद है कि दुकानों एवं मुसाफिरखाना का निर्माण मुतवल्ली द्वारा स्वयं किया जायेगा।इसप्रकार के प्रोजेक्ट का कियान्वयन करने के लिए प्रार्थी को ठेकेदार नियुक्त करने की आवश्यकता थी । बोर्ड के अनुमति पत्र में इसप्रकार का कार्य करने से निषिद्ध नहीं किया गया है। दिनांक 7–3–2011 एवं 18–1–2012 में माजिया बिल्डर प्रा0लि0 से विधिवत करार किया गया है। जॉच समिति द्वारा इन दो करारनामों पर विचार न करके गलती की गई, इसमें बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के अधीन शर्ते तय की गयी हैं तथा इसमें एक यह भी शर्त है कि कोई पत्राचार जो निर्माण के सम्बन्ध में पक्ष के मध्य पूर्व में हुआ था वह तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा । जॉच समिति ने पत्र दिनांक 6–2–2011 के निरस्तीकरण पर विचार नहीं किया जो दिनांक 7–3–2011 एवं 18–1–2012 को हुए करारनामें के आधार पर निरस्त हो गया है। इस प्रार्थनापत्र में आगे कहा गया है कि प्रार्थी एवं बोर्ड के मध्य जो शर्ते तय हुई हैं उनको विल्डर के साथ हुए एग्रीमेन्ट में वर्णित करना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी द्वारा इस बात का भी खण्डन किया गया कि दुकानों के किराये का निर्धारण एवं प्रबन्धन का दायित्व अनाधिकृत रूप से श्री नासिर अली खान को दे दिया गया है जिससे वक्फ की आय का दुरूपयोग होगा और वित्तीय अनियमितता होगी। अभी तक दुकानों का कोई भी किराया वसूल नहीं किया गया है तथा 90,000–00 रू0 प्रति दुकान की दर से 98 दुकानों का ठेकेदार को रू088,20,000–00 के भुगतान का दायित्व प्रार्थी पर चढ चुका है जिससे प्रार्थी को अत्यधिक वित्तीय हानि हो रही है। अन्त में इस रिपोर्ट को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि बोर्ड के पत्र सं0 658 दिनांक 15–9–2011 द्वारा बोर्ड ने वक्फ कर्बला सं0I-1236 रामपुर में कर्बला के बाहर एक प्लाट गाटा सं0–453 पर 5 दुकानें सामने तथा बाउण्डी की दीवार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी तथा इसीप्रकार बोर्ड के पत्र सं0 659 दिनांक 15–9–2011 द्वारा वक्फ इमामबाडा किला मरदाना सं0I-1238 रामपुर में 5 दुकानें बनाये जाने के प्रस्ताव के कम में 3 दुकानें बनाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

मुतवल्ली/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

1–मुतवल्ली को जिन शर्तो पर दुकान निर्माण कराये जाने की अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी थी क्या उनके द्वारा उन शर्तो का उल्लंघन किया गया है?

2– क्या मुतवल्ली द्वारा मे0 माजिया कान्द्रक्शन कम्पनी से अनुबंध करके निर्माण कराया जाना विधि अनुसार नहीं है?

3– क्या मुतवल्ली द्वारा वक्फनामा एवं वक्फ अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है ?

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर पृथक–पृथक निम्नानुसार विचार किया जा रहा है:–

1. बोर्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–8–2009 के द्वारा वक्फ हुसेनी सरांय वक्फ सं0I–1546 में पूर्व में दी गई 68 दुकानों व उनपर हुसेनी सरांय (मुसाफिरखाना) बनाये जाने की पूर्व अनुमति के कम में शेष खाली भूमि पर 30 और दुकाने बनाये जाने हेतु निम्न शर्तो के तहत अनुमति प्रदान की गयी थी ।

(i)– यह कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार ही दुकानों का निर्माण किया जायेगा।

(ii)–यह कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आंकडों के अनुसार ही निर्माण कराया जायेगा।

(iii)– यह कि निर्माण में किसी प्रकार की कमी होने के कारण निर्माण को अगर कोई क्षति पहुँचती है तो उक्त क्षति से कोई अन्य नुकसान व कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी का जानी व माली नुकसान व कोई व्यक्ति चोटिल होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्ध कमेटी की होगी, जिसको अनुमति प्रदान की जा रही है। ऐसी दशा में बोर्ड नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv)– यह कि निर्माण के बाद उक्त 68 व 30 दुकानों की किराये दारी जिसके निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है, की किरायेदारी नियमानुसार सर्किल रेट से की जायेगी।

(v)– यह कि वक्फ की दुकानों की किरायेदारी गैर शरई व गैर कानूनी कार्य किया जाना प्रतिबन्ध है, जिसके लिए दुकान की किरायेदारी कदापि नहीं की जा सकेगी।

(vi)–यह कि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात् वक्फनामें के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसेनी सरांय) बनाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

अनुसार दुकानों की छत पर मुसाफिरखाने का मानचित्र व आंकरण बोर्ड के समक्ष शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ/जिलाधिकारी रामपुर के पत्र सं0 12/वक्फ नं01–1546/हु0स0–जॉच/12 दिनांक 09–04–2012 के साथ संलग्न जॉच आख्या के संलग्नक–2 में सहायक अभियंता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर की आख्या संलग्न की गयी है जिसमें अंकित किया गया है कि वक्फ हुसेनी सरांय में कुल स्वीकृत 98 दुकानों के अतिरिक्त 13 दुकानों का निर्माण अधिक किया गया है। कुल स्वीकृत 98 दुकानों में से 10 दुकानों का निर्माण कार्य अभी डी0पी0सी0 स्तर तक ही किया गया है। स्वीकृत मानचित्र के लेआउट के अनुसार इतने बडे व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन पार्किंग, अग्निशमन व रेन वाटर हारवेस्टिंग का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार कर्बला स्थल पर कुल 5 दुकानों का निर्माण किया गया पाया गया । इसके अतिरिक्त सडक के किनारे लगभग 10 दुकानों की प्रस्तावना डी0पी0सी0लेविल तक की गई है व उक्त निर्माण के पीछे चार भूखण्ड लगभग 11.50 मी0 चौडे व 11.60 मी0गहराई में डी0पी0सी0लेविल तक निर्मित किये गये है। इस बिन्दु के उत्तर में मुतवल्ली द्वारा मात्र इतना कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक अभियंता, रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गलत गिनती की गई है। मुतवल्ली का यह कथन अमान्य है क्योंकि जॉच आख्या में स्थल का नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है। इसप्रकार अनुमति की शर्त सं0–1 का मुतवल्ली द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

शर्त सं0–2 के बारे में जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण करते समय कुछ दुकानें प्रस्तावित नक्शे से भिन्न पाई गई। इस सम्बन्ध में मुतवल्ली द्वारा कहा गया है कि दुकानों का निर्माण प्रस्तुत किये गये नक्शे के अनुसार कराया जायेगा । सरांय/मुसाफिरखाना का निर्माण बोर्ड अनुमति के अधीन प्रथम तल पर प्रस्तावित था जिसे दुकानों का निर्माण समाप्त होने पर किया जायेगा। बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति की शर्त सं0–2 में यह कहा गया है कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आंकडों के अनुसार ही निर्माण कराया जायेगा । यदि आंकडों का तात्पर्य आगणन (स्टीमेट) से है तो चूँकि प्रस्तुत मानचित्र से भिन्न निर्माण कार्य कराया जा रहा था । इसलिए निर्माण कार्य प्रस्तुत किये गये आंगणन(स्टीमेट) से स्वतः भिन्न हो गया । अपर सर्वे आयुक्त वक्फ/जिलाधिकारी रामपुर के स्तर से प्रेषित जॉच आख्या के अनुसार आंकडों का तात्पर्य नक्शे से हैं तो इसका उल्लंघन बिन्दु सं0–1 में सिद्ध हो गया है। मुतवल्ली द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया है कि बोर्ड के पत्र सं0 416 दिनांक 7–2–2012 के अनुसार दुकानों

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

के निर्माण से रामपुर विकास प्राधिकरण को विरत रखा गया है।जॉच आख्या में वाहन पार्किंग,अग्निशमन, रेन वाटर हारवेस्टिंग की जो बातें कही गई हैं उसे संज्ञान ले लिया गया है। मुतवल्ली का मात्र यह कह देना कि पार्किंग आदि का संज्ञान ले लिया गया है, पर्याप्त नहीं है।बल्कि दुकानों का निर्माण कराये जाने हेतु निर्धारित नियमों /विनियमों का पालन करना मुतवल्ली का दायित्व बनता है। इसप्रकार शर्त सं0–2 का उल्लंघन भी मुतवल्ली द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है।

शर्त सं0–4 के विषय में जॉच आख्या में कहा गया है कि श्री वलीउल्ला खॉ पुत्र श्री साईदुल्लाह खॉ निवासी जियारत हल्कवाली ,रामपुर के व्यवसायिक केन्द्र के पंजीकरण प्रपत्र रसीद दिनांक 27–1–2012 के अनुसार तथा दुकान का मासिक किराया 400 रू0 प्रतिमाह की दर से 11 माह का प्रति दुकान का निर्धारित किया गया है जबकि स्थल पर किरायेदारी सर्किल रेट रू0 2156 है। इस विषय में मुतवल्ली द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि उनके द्वारा दुकानों का कोई आवंटन नहीं किया है और न ही कोई प्रीमियम लेकर किराया तय किया गया है। यह पंजीकरण रसीद बिल्डर द्वारा जारी की गयी है जो मुतवल्ली पर बाध्यकारी नहीं है तथा मुतवल्ली बिल्डर के मध्य किये गये करार के अंतर्गत उसके अधिकार सुरक्षित है । इसके अलावा अभी तक किसी भी भविष्य के आवंटी को दुकानों का कब्जा नहीं दिया गया है तथा कोई भी करार आवंटी के साथ नहीं किया गया है। मुतवल्ली का यह स्पष्टीकरण जिसमें उन्होनें पंजीकरण से अपना दामन झाडते हुए बिल्डर को इसका जिम्मेदार ठहराया है,ग्राह्य नहीं है। क्योंकि दिनांक 7–3–2011 को मुतवल्ली एवं बिल्डर के मध्य हुए करार की शर्त सं0–2 में यह उल्लेख किया गया है कि रू0 1,55,000–00 प्रति दुकान बिल्डर को भुगतान किया जायेगा जिसमें दुकान की लागत शामिल होगी । जहॉ तक मुतवल्ली एवं बिल्डर के मध्य किये गये करार का प्रश्न है इस बिन्दु पर पृथक से बिन्दु सं0–2 में विचार किया जायेगा। परन्तु जब स्वयं मुतवल्ली द्वारा रू0 1,55,000–00 के भुगतान की शर्त अंकित की है तो बिल्डर द्वारा इसप्रकार के पंजीकरण से वह अपना दामन नहीं बचा सकते है। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जहॉ एक ओर इस करारनामें दुकानों की लागत रू0 90,000–00 दर्शाई गई है वहीं प्रति दुकान रू0 1,55,000–00 बिल्डर को देने की बात भी कही गई है जिसमें दुकानों एवं मुसाफिरखाने की लागत शामिल है। यहॉ यह तथ्य विचार योग्य है कि जब मुसाफिरखाना का न तो कोई प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई नक्शा तो मनमाने तरीके से दुकानें एवं मुसाफिरखाना बनाने की शर्त रू0 1,55,000–00 किस

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

आधार पर तय कर दी गई। इसप्रकार मुतवल्ली द्वारा मनमाने ढंग से सभी वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए वकफ को वित्तीय हानि पहुँचाने का कार्य किया गया है। इसप्रकार मुतवल्ली द्वारा शर्त सं0–4 का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

शर्त सं0–6 के बारे में जॉच आख्या में कहा गया है कि इस शर्त के अनुसार दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फनामा के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसैनी सरांय) का निर्माण करायेगें। परन्तु स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात यह बात संज्ञान में आई कि दुकानों के निर्माण के ऊपर मुसाफिरखाने के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। उक्त दुकानों के ले आउट के अनुसार भूमितल पर निर्मित दुकानों के ऊपर प्रथम दृष्टया मुसाफिरखाने के निर्माण हेतु इसप्रकार के प्लान की कोई अभिकल्पना नहीं की गयी है और स्वीकृत मानचित्र के लेआउट के अनुसार इतने बडे व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन की पार्किंग, अग्निशमन के सम्बन्ध में व रेन वाटर हारवेस्टिंग का भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसके उत्तर में मुतवल्ली द्वारा कहा गया है कि मुसाफिरखाना का निर्माण प्रथम तल पर किया जाना है। प्रथम तल पर मुसाफिरखाना बनाये जाने का प्राविधान उसकी बुनियाद पिलर और बीम बनाकर किया गया है,इन बिन्दुओं को जॉच कमेटी द्वारा नहीं देखा गया। मुतवल्ली द्वारा दिये गये इस स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तर्क के समर्थन में उनके द्वारा निर्माण की कोई स्टक्चरल डिजाइन सम्बन्धी मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इतने महत्वपूर्ण बिन्दु का जिस सरसरी अंदाज में मुतवल्ली द्वारा उत्तर दिया गया है उससे स्वयं परिलक्षित होता है कि उनको मुसाफिरखाना (हुसैनी सरांय) के निर्माण में कोई अभिरूचि नहीं है। जॉच समिति द्वारा जॉच के समय यह पाया गया कि मुतवल्ली द्वारा हुसैनी सरांय की वक्फ भूमि पर उक्त दुकानों का निर्माण प्राइवेट बिल्डर (माजिया कॉस्टक्शन कम्पनी) द्वारा कराया गया जबकि बोर्ड द्वारा मात्र मुतवल्ली को दुकानात निर्माण कराये जाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को प्राइवेट बिल्डर से अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। मुतवल्ली द्वारा ऐसा किया जाना बोर्ड द्वारा जारी की गई अनुमति के विपरीत है। इस अनुबंध में हुसैनी सरांय बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह स्वतः स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को भ्रमित कर बोर्ड की शर्तो का स्वार्थ पूर्ति व भारी मुनाफा कमाने की नियत से उल्लंघन किया गया है। इसप्रकार उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुतवल्ली द्वारा दुकानों के निर्माण

कराये जाने से सम्बन्धित शर्त सं01,2,4 व 6 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

2. मुतवल्ली द्वारा यह कहा गया है कि इतनी बडी परियोजना के निर्माण के लिए ठेकेदार की आवश्यकता होती है जिसे उनके द्वारा चयनित किया गया। बोर्ड द्वारा जारी अनुमति में ऐसा करने से निषिद्ध नहीं किया गया है। दिनांक 7–3–2011 एवं 18–1–2012 के द्वारा मे0 माजिया कान्द्रक्शन कम्पनी से करार निष्पादित करके उसे कार्य कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सम्बन्ध में जॉच कमेटी द्वारा बिल्डर के मध्य हुए करार पर विचार न करके गलती की गयी है। इसमें बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के अनुसार ही शर्ते लगाई गयी हैं तथा पूर्व में किये गये करार तथा शर्तो सम्बन्धी दोनों पत्रों के मध्य निर्माण के सम्बन्ध में जारी पत्र को निरस्त कर दिया गया है जबकि जॉच कमेटी ने पत्र दिनांक 6–2–2011 का संदर्भ लिया है जो दिनांक 7–3–2011 एवं 18–1–2012 के करार पत्रों से निरस्त हो चुका है। मुतवल्ली एवं बोर्ड के मध्य जो शर्ते लागू हैं उनको बिल्डर से किये गये करार पर लागू किया जाना आवश्यक नहीं है। यह भी कहना गलत है कि दुकानों का प्रबन्धन उनके करार में निर्धारित श्री नासिर अली खान नाम के अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है। जिससे वक्फ की आय का दुरूपयोग एवं वित्तीय अनियमितता की गयी है। अभी तक किराये के रूप में कोई धनराशि वसूल नहीं की गई है तथा 98 दुकानों का 90,000–00रू0 प्रति दुकान की दर से मे0 माजिया कान्द्रक्शन कम्पनी पर देनदारी है जिसे बिल्डर ब्याज सहित वसूल कर सकता है तथा जिससे मुतवल्ली को वित्तीय हानि होगी। मुतवल्ली द्वारा दिया गया उपरोक्त स्पष्टीकरण वक्फ अधिनियम की धारा –76 के विपरीत है। धारा –76 वक्फ अधिनियम के अनुसार कोई भी मुतवल्ली बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के कोई धनराशि न तो कर्ज के रूप में ले सकता है और न ही दे सकता है। यद्यपि बोर्ड द्वारा जारी अनुमति में इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु मुतवल्ली को वक्फ अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करना बाध्यकारी है। मे0 माजिया कान्द्रक्शन कम्पनी के साथ निष्पादित दोनों करारनामों में पूँजीगत निवेश बिल्डर को ही करना है जो स्वतः वक्फ पर कर्ज के रूप में भारित होगा। अतः मुतवल्ली द्वारा वक्फ अधिनियम के इस प्राविधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा दो भागों में दुकानों के निर्माण कराये जाने की अनुमति प्राप्त की गई थी । प्रथम बार तत्कालीन अध्यक्ष श्री वी0एम0जैदी द्वारा दिनांक 15–3–2002 को अनुमति दी गयी थी। इस अनुमति में जहॉ एक ओर बोर्ड के अध्यक्ष ने

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اتر پردیش

فرد احکام

बोर्ड के आदेश दिनांक 17–9–1994 को समाप्त करते हुए सम्बन्धित औकाफ को बोर्ड के सीधे नियंत्रण से मुक्त करते हुए श्री काजिम अली खान को मुतवल्ली बनाया गया था वहीं इसी आदेश में वक्फ सम्पत्ति हुसैनी सराय पर निर्माण हेतु प्रस्तावित 68 दुकानों को निर्मित किये जाने की अनुमति भी प्रदान की गयी थी। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है क्योंकि इस आदेश की मूल प्रतिलिपि पत्रावली पर तलाश करने पर उपलब्ध नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त एक ही आदेश में मुतवल्ली की बहाली एवं दुकानों के निर्माण कराये जाने की अनुमति दिया जाना भी इस आदेश को संदेहास्पद बनाता है क्योंकि जबतक मुतवल्ली को नियुक्त नहीं कर दिया जाता तबतक वह दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव कैसे प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस आदेश का कार्यालय ज्ञाप पत्रावली पर उपलब्ध नहीं मिला बल्कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/ अपर सर्वे आयुक्त वक्फ, जनपद रामपुर को पत्र सं0 321 दिनांक 15–3–2002 के माध्यम से बोर्ड के प्रश्नगत आदेश की छाया प्रति संलग्न करते हुए श्री नवाब काजिम अली खॉ को मुतवल्ली बनाये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। इस पत्र में 68 दुकानों के निर्माण कराये जाने की अनुमति का उल्लेख नहीं किया गया है। यह बिन्दु भी आश्चर्य जनक है कि जिन 68 दुकानों की अनुमति प्रदान की गई है उसका स्टीमेट तीन भागों में क्रमशः रू0 5.94 लाख, रू0 11.68 एवं रू0 6.07 लाख कुल 23.69 लाख के 10 प्रतिशत की तीन रसीदें बोर्ड से दिनांक 18–1–2011 को जारी की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन अध्यक्ष के उक्त आदेश दिनांक 15–3–2002 पारित करने के समय न तो कोई प्राक्कलन और न ही कोई नक्शा मुतवल्ली द्वारा दाखिल किया गया था। तत्कालीन अध्यक्ष के आदेश पर निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बनध में कोई शर्त का भी उल्लेख नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि एक फर्द–एहकाम दिनांक 15–3–1989 की दूसरी ओर बोर्ड के आडीटर श्री महफूज हुसेन नकवी द्वारा दिनांक 10–9–2009 को एक आख्या प्रस्तुत की गयी है । इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों तिथियों के मध्य बोर्ड में इस वक्फ के सम्बन्ध में कोई नोटिंग/टिप्पणी अंकित नहीं हुई है। इसप्रकार इन दोनों तिथियों के मध्य दिनांक 15–03–2002 को जारी आदेश किन परिस्थितियों में पारित हुआ यह जॉच का विषय है। पत्रावली पर जिन 30 दुकानों को बनाये जाने की अनुमति ली गयी थी उसी के क्रम में तत्कालीन अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ/ जिलाधिकारी रामपुर का पत्र सं0–1064 ए दिनांक 20–12–2011 एवं ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा पत्र सं0–1063 ए दिनांक 19–12–2011 प्रस्तुत किया गया

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

जिसमें उल्लेख किया गया है कि वक्फ सं0 I-1546 वक्फ हुसैनी सरांय की सम्पत्ति पर जिन 68 दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है इस आदेश में वक्फ सम्पत्ति पर दुकानों का निर्माण होने के पश्चात दुकानों का आवंटन किये जाने एवं किराये आदि की शर्तो का कोई उल्लेख न होने के कारण वक्फ सम्पत्ति से होने वाली आय का आंकलन नहीं हो सकेगा। इन दुकानों को उच्च कीमत पर बेंचकर/किराये पर देकर न्यूनतम कीमत दिखाकर वक्फ बोर्ड में न्यूनतम धनराशि जमा की जाएगी । इससे वक्फ बोर्ड को आर्थिक नुकसान होगा। इसी कम में तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट रामपुर द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष को एक अर्द्ध शासकीय पत्र सं0 1451/वक्फ दिनांक 8 अगस्त, 2011प्रेषित किया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि बोर्ड में पंजीकृत वक्फ हुसैनी सरांय सं0I–1546 धर्मशाला एवं मुसाफिरखाने के स्थान पर 68 दुकानों के निर्माण की अनुमति श्री गुलाम सैय्यदैन, प्रशासनिक अधिकारी शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत की गयी है । इस अनुमति को संदिग्ध मानते हुए पत्रांक 1106 दिनांक 20–5–2011 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी शिया वक्फ बोर्ड से पुष्टि करायी गयी थी जो आज तक अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में पूर्णतया धर्मार्थ शिया वक्फ सम्पत्ति पर हो रहे अवैध निर्माण शॉपिंग काम्पलेक्स आदि पर किसी प्रकार की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी के इस पत्र के साथ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश दिनांक 5–8–2010 संलग्न है जिसमें वक्फ हुसैनी सरांय में 68 दुकानों के निर्माण का आदेश अंकित है। इसके साथ जिलाधिकारी रामपुर को सम्बोधित एक पत्र सं0 124 दिनांक 27–7–2011 भी संलग्न है जिसमें कहा गया है कि प्रश्नगत वक्फ हुसैनी सरांय नं01546 रामपुर से सम्बन्धित 68 दुकानों के निर्माण की अनुमति उक्त वक्फ के मुतवल्ली नवाब काजिम अली खान विधायक को संलग्नक आदेश दिनांक 28–2–2011 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा नक्शे पास कराये गये है तथा एक अन्य आदेश सं0 1904 दिनांक 28–2–2011 भी आदेश के रूप में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रश्नगत वक्फ हुसैनी सरायं (नं0–I-1546) रामपुर से सम्बन्धित 68 दुकानों के निर्माण हेतु नवाब काजिम अली खान मुतवल्ली के अनुरोध पर बोर्ड के आदेशानुसार विकास शुल्क जमा कराकर निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी रामपुर के उपरोक्त दोनों पत्रों तथा उसके साथ संलग्न प्रशासनिक अधिकारी के आदेश/पत्रों के अवलोकन से सम्पूर्ण प्रकरण संदिग्ध हो जाता है क्योंकि यदि बोर्ड द्वारा दिनांक

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

15–03–2002 को ही 68 दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी गयी थी तो अनुमति पत्र प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–2011 को किन परिस्थितियों में जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त यह आदेश कार्यालय ज्ञाप के रूप में न होकर आदेश के रूप में जारी हुआ है जो कि प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

मुतवल्ली द्वारा स्वयं उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों एवं मेसर्स माजिया कान्स्ट्रक्शन्स कं0 से किये गये दोनों करारनामों के अवलोकन से वक्फ को भारी वित्तीय हानि परिलक्षित होती है। आदेश सं0 1904 दिनांक 28–2–2011 जो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि 68 दुकानों के निर्माण हेतु विकास शुल्क जमा कराकर निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार जिन 30 दुकानों के निर्माण की अनुमति दिनांक 17–8–2009 को दी गयी थी उसके निर्माण का स्टीमेट रू0 10.37 लाख का प्रस्तुत किया गया है परन्तु मे0 माजिया कान्सट्रक्शन कम्पनी को प्रति दुकान रू0 90,000–00 की दर से भुगतान किये जाने का करार मुतवल्ली द्वारा किया गया है। जिससे इन दुकानों की निर्माण लागत रू0 27–00 लाख हो जाती है। इस प्रकार स्वयं मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर वक्फ को कुल 30 दुकानों के निर्माण पर रू0 16.63 लाख की हानि होना परिलक्षित हो रहा है। चूँकि दिनांक 18–1–2011 को जारी तीनों रसीदों के अनुसार 68 दुकानों के प्राक्कलन की धनराशि रू0 23.69 लाख होती है। अतः कुल 98 दुकानों की लागत रू0 34.06 लाख हुई। जबकि बिल्डर व मुतवल्ली के मध्य हुए करारनामों के अनुसार यह लागत रू0 88.20 लाख होती है। इस प्रकार मुतवल्ली द्वारा इन दोनों धनराशियों के अन्तर रू0 54.14 लाख रू0 की क्षति वक्फ को की जा रही रही है। मुतवल्ली द्वारा स्वयं उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों एवं मेसर्स माजिया कान्स्ट्रक्शन्स कम्पनी से किए गए करारनामें के अवलोकन से वक्फ को भारी वित्तीय हानि परिलक्षित होती है।

उपरोक्त वक्फ सं0I-1546 के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा वक्फ सं0-I-1236 पर 5 दुकानों को बनाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी । इस आदेश में रू0 30,000–00 बोर्ड के कोष में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। जिससे यह प्रतीत होता है कि इन दुकानों को बनाये जाने का आगणन रू0 3–00 लाख है क्योंकि बोर्ड द्वारा आगणन की धनराशि का 10 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में धनराशि जमा कराई जाती है। इस वक्फ के सम्बन्ध में अपर सर्वे कमिश्नर /जिलाधिकारी रामपुर द्वारा अपने पत्र सं0 13/वक्फ नं01–1236/कर्ब0श0–जॉच/12 दिनांक

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

فرد احکام

9–4–2012 द्वारा बोर्ड को जांच आख्या उपलब्ध कराई है। इसके साथ संलग्न जॉच समिति की आख्या में कहा गया है कि इस वक्फ की सम्पत्ति पर मुतवल्ली द्वारा 05 दुकानों के अतिरिक्त अवैध रूप से वक्फ सम्पत्ति पर बुनियादें व बाउन्डीयॉ बना ली गयी हैं । इस सम्बन्ध में स्थलीय जॉच सहायक अभियंता, रामपुर विकास प्राधिकरण के साथ निरीक्षण किया गया उन्होनें अपनी आख्या दिनांक 6–4–2012 द्वारा अवगत कराया कि कर्बला स्थल पर केवल 5 दुकानों का निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त सडक के किनारे लगभग 10 दुकानों की प्रस्तावना डी0पी0सी0 लेविल तक की गयी है व उक्त निर्माण के पीछे 11.50 मी0 चौडे व 11.60 मी0 गहराई में डी0पी0सी0लेविल तक निर्मित किये गये है। चूँकि मुतवल्ली द्वारा दिनांक 07–3–2011 व 18–01–2012 द्वारा किये गये एग्रीमेंन्ट के माध्यम से केवल वक्फ सं0 I-1546पर कमशः 68 व 30 दुकानें बनाये जाने हेतु समझौता किया गया है तथा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वक्फ सं0 -I-1236 पर उपरोक्तानुसार जो निर्माण किया जा रहा है वह किस माध्यम से किया जा रहा है। अतः अपर सर्वे आयुक्त/जिलाधिकारी, रामपुर को इस तथ्य की जॉच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि वक्फ सं0-I-1236 पर कराये जा रहे निर्माण को किस माध्यम से कराया जा रहा है तथा उसके निर्माण कार्य पर व्यय की जा रही धनराशि का श्रोत क्या है।

अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा जहॉ एक ओर वक्फ अधिनियम की धारा–76 का उल्लंघन किया गया है ।वहीं दूसरी ओर 68 दुकानों की अनुमति के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियों में उन्हें सम्मिलित करते हुए 54–14 लाख रू0 की वक्फ को क्षति पहुँचाने का कृत्य मुतवल्ली द्वारा किया गया है।

3. मुतवल्ली के आचरण के सम्बन्ध में एक बिन्दु यह भी विचारणीय है कि उनके द्वारा वक्फ का आडिट समुचित रूप से करवाया जा रहा है अथवा नहीं । उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कहा गया है कि उनके द्वारा बोर्ड में अंशदान जमा किया जाता रहा है । मुतवल्ली का मात्र अंशदान जमा करवाना ही उनको इस जिम्मेदारी से बचाव नहीं करता। पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे यह सिद्ध होता हो कि मुतवल्ली द्वारा नियमित वक्फ का आडिट कराया गया है। वक्फ हुसैनी सरांय के वक्फनामें से यह स्पष्ट हो जाता है कि नवाब रजा अली खॉ द्वारा हजरत इमाम हुसेन के मसाइबे सफर की यादगार कायम करने के लिए एक मुसाफिरखाना हुसैनी सरांय के नाम से कायम किया जाना था जिसमें